

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुझुनू

कार्यालय आदेश

श्रीमान शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-2 विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प 17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को दें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
5. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में कनिष्ठतम को अन्य व्यवस्था होने तक कार्यमुक्त नहीं करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 15.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झुझुनू

क्रमांक:जिशिअ/मा/झुझुनू/संस्था-2/सेटअप समायोजन संस्कृत/2017/1187-1193 दिनांक 03.06.2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3- निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- 4- उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा चुरू संभाग, चुरू ।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, झुझुनू/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी..... ।
- 6- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक ।
- 7- वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली ।

(ओम प्रकाश शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक झुझुनू

www.rajteachers.com


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू

कमांक:-जिशिअ/माध्य/झुंझुनू/संस्था-2/सेटअप समायोजन/2017/

दिनांक:-03.06.2017

आदेश कमांक-01

क्रस	अध्यापक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	लेवल -2	विषय	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दर्शना देवी	रामावि घुमनसर कलां	SURAJGARH	LEVEL 2	Sanskrit	राउमावि जयसिंह खेतडी	KHETRI
2	सुनिता डूडी	राउमावि धमोरा	UDAIPURWATI	LEVEL 2	Sanskrit	राउमावि बाघोली	UDAIPURWATI
3	सज्जना कुमारी	राउमावि ककराना	UDAIPURWATI	LEVEL 2	Sanskrit	राउमावि टाई	ALSISAR


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झुंझुनू


श्रीमान शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-2 विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प 17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला शा0शि0 का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला शा0शि0 पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में कनिष्ठतम को अन्य व्यवस्था होने तक कार्यमुक्त नहीं करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 15.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झुझुनूं
दिनांक 03-06-2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/झुझुनूं/संस्था-2/सेटअप समायोजन/2017/2173
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ,राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3- निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- 4- उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा चुरू संभाग, चुरू ।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, झुझुनूं/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.....।
- 6- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक ।
- 7- वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली ।

(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झुझुनूं

क्रस	अध्यापक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	पद का नाम	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती उर्मिला	रामावि अडुकिया चिडावा	CHIRAWA	शा0शि0	राबामावि शिमला	KHETRI

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झुझुनू